कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 387 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018.

सेवा में,

श्री भागवत सिंह,
एनएचपीसी आवासीय परिसर,
तपोवन, धारचूला,
पिथौरागढ़, (उत्तराखण्ड) 262545

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या–01, 02,03 एवं 04 के संबंध में अवगत कराना है कि लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचनों में केन्द्र/राज्य सरकार एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कार्मिकों की तैनाती की जाती है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 गग के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्त पर कार्य करते है, सुलभ संदर्भ हेतु संबंधित की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 387 /XXV–12(1–5)/2008 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को आवेदन पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बिन्दु सं0 02 आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

B. S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर-- (1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा ।]

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना--** इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां--** (1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो ट्यूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

भाग 3

[3][[4]*** निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

[5][**14. परिभाषाएं--** इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; [4]***

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :]

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 5 द्वारा (1-1-1959 से) "मार्च के प्रथम दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरॉखण्ड सरकार, 4 सुभाष रोड,
नोर्थ ब्लाक, सचिवालय,
देहरादून (उत्तराखण्ड),
पिन- 248001

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक- 15/2/18
रजिस्टर क्रमांक-203 पत्रावली संख्या-

विषय :- "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अंतर्गत सूचना चाहने के बावत ।

महोदय/महोदय,

प्रार्थी "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाहता है :-

1. लोक सभा निर्वाचन / विधान सभा निर्वाचन के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कौन-कौन से विभागों के कर्मियों को डयूटी हेतु तैनात किया जाता है ।
2. पंचायत चुनाव एवं नगर स्थानीय समान्य निर्वाचन हेतु के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कौन-कौन से विभागों के कर्मियों को डयूटी हेतु तैनात किया जाता है ।
3. लोक उद्यम क्षेत्र के कर्मियों को निर्वाचन डयूटी हेतु तैनात किया जाता है, वह निर्वाचन आयोग के किन नियमों के आधार पर किया जा रहा है ।
4. निर्वाचन आयोग के किन नियमों के आधार पर लोक उद्यम क्षेत्र के कर्मियों को कौन-कौन से निर्वाचन हेतु डयूटी के लिए तैनात किया जा सकता है ।

धन्यवाद,

प्रार्थी

भागवत सिंह
एनएचपीसी आवासीय परिसर,
तपोवन, धारचूला,
पिथौरागढ, (उत्तराखण्ड)
262545

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 386 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त अनुभाग अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 1101/रा0नि0आ0–1/2292/2018 दिनांक 07–03–2018 के साथ संलग्न श्री अमित कुकरेती, रामनगर डांडा, पोस्ट–थानों, जिला–देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना प.त्र दिनांक 28–02–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि श्री अमित कुकरेती, रामनगर डांडा, पोस्ट–थानों, जिला–देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

प्राप्त
8/3/18

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 1101 / रा.नि.आ.-1/2292/2018

दिनांक 07.03.2018

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री अमित कुकरेती, रामनगर डांडा, पोस्ट–थानों, जिला–देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 26/28.02.2018 जो लोक सूचना अधिकारी, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 03 मार्च, 2018 से आंतरित होकर राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 07.03.2018 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध–पत्र में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

07.3.18
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2290/2018 तद्दिनांक।(पंजीकृत)
प्रतिलिपि:– श्री अमित कुकरेती, रामनगर डांडा, पोस्ट–थानों, जिला–देहरादून को सूचनार्थ।

AROI (K)
आवश्यक कार्यवाही हेतु
D.E.O कार्या. देहरादून को
हस्तान्तरित करें।
8-3-18
S.O/P.I.O.

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

2292/2018

पंजीकृत/स्पीड पोस्ट

संलग्नक–7

सूचना का अधिकार

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

पत्रावली संख्याः– 80/RTI/ 1724 /2017-18

दिनांक 03 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन भवन, लाडपुर,
मसूरी वाई पास रिंग रोड,
रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

श्री अमित कुकरेती का अनुरोध पत्र कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो इस कार्यालय में 28.02.2018 को पंजीकृत किया गया।

अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र की छाया प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–6(3) के अन्तर्गत आपके कार्यालय को अन्तरित किया जा रहा है। अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित हैं। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

03.03.18

(उमा पंवार)
लोक सूचना अधिकारी,
राज्य परियोजना कार्यालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नकः सूचना का अनुरोध पत्र छाया प्रति में।

प्रतिलिपि– श्री अमित कुकरेती, राम नगर डांडा, पो0ओ0– थानों, जिला– देहरादून को सूचनार्थ कि सूचना अप्राप्ति/असन्तुष्टि की दशा में सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील कर सकते हैं।

(उमा पंवार)
लोक सूचना अधिकारी,
राज्य परियोजना कार्यालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून

RTI
श्री नयाल (S/1)
PIO, CEO, UK को Transfer करें।
07.03.18
PIO

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।